Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide reservation to Maratha community of Maharashtra.

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले): महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पाटीदार (पटेली), राजस्थान में गुर्जर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में जाट लोग बीते बहुत दिनों से आरक्षण की माँग को लेकर आंदोलित हैं। इसमें महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सब राज्यों में कभी न कभी आरक्षण जैसे मुद्दों पर हिंसक घटनाएं घटती रहती हैं और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं के घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से मराठा समाज ने आरक्षण की मुख्य मांग को लेकर लाखों की तादाद में विशाल रैलियां की हैं तथा पिछले सप्ताह बीड, परली में युवा, युवती एवं वृद्ध सहित सभी वर्ग के लोग सड़क पर उतर आये हैं। प्रदेश में निकली इन विशाल रैलियों की एक खासियत थी कि ये रैलियां सेना की तरह अनुशासित एवं सभ्य थी। लेकिन इस तरह की घटनाओं से देश बैचेन है। आंदोलनकर्ताओं की मांग न्यायोचित है। इनकी मांग की अगर सरकार ने अनदेखी की तो देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इस आरक्षण आंदोलन की महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण की मांग करने वाले सभी लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं एवं किसान हैं और देश को खड़ा करने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनकी संख्या भी अत्यधिक है। आज भारतीय कृषि क्षेत्र की बिगड़ी हुई हालत से वर्षों से किसान की खेती घाटे का सौदा साबित हुई है। इसके कारण ये सब आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर हो चुके हैं। इसका परिणाम उनके बाल-बच्चों की पढ़ाई, उनके परिवार की स्वास्थ्य समस्याएं जटिल हो गई हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करना इनके लिए सपने जैसा है। अतः आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से इन सभी लोगों को इस समस्या से बाहर निकालना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सबसे पहली जरुरत इनके ऊपर जो वर्षों से कृषि ऋण का बोझ है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और इसके साथ-साथ उनके कृषि उपज को स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को स्वीकृति देना, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण हेतु फीस माफी या अनुदान की व्यवस्था, इसके साथ-साथ इनके बच्चों को नौकरी में आरक्षण देना, ये सभी चीजें सरकार को अतिशीघ्र लागू करने की आवश्यकता है। सातवें वेतन आयोग को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है उससे कम से कम एक लाख करोड़ रुपयों का बोझ सरकारी खजानें पर हमेशा के लिए पड़ने वाला है। देश की कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा करीब 9 लाख करोड़ रुपयों के अपने ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। उस तुलना में आरक्षण और किसान को पूरी ऋण मुक्ति के लिए बहुत ही कम पैसे का

प्रावधान सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन कुल जनसंख्या के आधे से ज्यादा इस देश के अन्नदाता किसान को इस निर्णय से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए सरकार द्वारा आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लेने की आज नितांत आवश्यकता है।